संख्या-66/2025/1005/सत्तर-4-2025-70-4099/19/2025

प्रेषक,

निधि श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय,
मुरादाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2025**

विषय- गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद हेतु शिक्षणेतर पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु निम्न तालिका-क में अंकित विवरण के अनुसार कुल 156 अस्थायी शिक्षणेतर पदों को दिनांक 28.02.2026 तक के लिए, बशर्ते यह पद इससे पहले बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, को सृजित किये जाने एवं तालिका-ख में अंकित विवरण के अनुसार 160 पदों के सापेक्ष वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवाएं लिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

तालिका-क

(नियमित वेतनमान में सृजित पदों का विवरण)

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पदों की संख्या	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती का स्रोत आदि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उप कुलसचिव	लेवल- 11 (ग्रेड पे 6600) (बैण्ड रू0 15600-39100)	2	उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित सेवा) नियमावली, 1975 यथा संशोधित के अनुसार
2	सहायक कुलसचिव	लेवल- 08 (ग्रेड पे 4800) (बैण्ड रू0 9300-34800)	3	उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित सेवा) नियमावली, 1975 यथा संशोधित के अनुसार
3	चिकित्साधिकारी (पुरूष)	लेवल-10 (ग्रेड पे 5400) (बैण्ड रू0 15600-39100)	1	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारी, पुरूष की प्रति नियुक्ति के माध्यम से तैनाती की जाएगी।
4	चिकित्साधिकारी (महिला)	लेवल- 10 (ग्रेड पे 5400) (बैण्ड रू0 15600-39100)	1	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारी, महिला की प्रति नियुक्ति के माध्यम से तैनाती की जाएगी।

5	फार्मासिस्ट	लेवल- 05 (ग्रेड पे 2800) (बैण्ड रू0 5200-20200)	1	कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-91/2812 /47-का-3-14- 13/7/2006 दिनांक 15.12.2014 द्वारा वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20,200) ग्रेड पे रू0 1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (9300-34,800) ग्रेड पे रू0 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये है।
6	स्टाफ नर्स	लेवल- 07 (ग्रेड पे 4600) (बैण्ड रू0 9300-34800)	2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत स्टाफ नर्स संवर्ग से प्रति नियुक्ति के माध्यम से तैनाती की जाएगी।
7	इलेक्ट्रिशियन	लेवल- 02 (ग्रेड पे 1900) (बैण्ड रू0 5200-20200)	2	कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-91/2812 /47-का-3-14- 13/7/2006 दिनांक 15.12.2014 द्वारा वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20,200) ग्रेड पे रू0 1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (9300-34,800) ग्रेड पे रू0 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये है।
8	प्लम्बर	लेवल- 01 (ग्रेड पे 1800) (बैण्ड रू0 5200-20200)	2	विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमावली के प्रविधानों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।
9	सहायक अभियन्ता (सिविल)	लेवल- 10 (ग्रेड पे 5400) (बैण्ड रू0 15600-39100)	1	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।
10	अवर अभियन्ता (सिविल)	लेवल- 06 (ग्रेड पे 4200) (बैण्ड रू0 9300-34800)	1	कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-91/2812 /47-का-3-14- 13/7/2006 दिनांक 15.12.2014 द्वारा वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20,200) ग्रेड पे रू0 1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (9300-34,800) ग्रेड पे रू0 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये है।
11	अवर अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल)	लेवल- 06 (ग्रेड पे 4200) (बैण्ड रू0 9300-34800)	1	तदैव
12	कारपेंटर	लेवल- 01 (ग्रेड पे 1800) (बैण्ड रू0 5200-20200)	2	विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमावली के प्रविधानों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।
13	वैयक्तिक सहायक-श्रेणी- 1 (कुलपति हेतु)	लेवल- 07 (ग्रेड पे 4600) (बैण्ड रू0 9300-34800)	1	राज्य सरकार द्वारा संवर्ग की सेवानियमावली में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।
14	वैयक्तिक सहायक-श्रेणी- 2	लेवल -6 (ग्रेड पे 4200) (बैण्ड रू0 9300-34800)	2	राज्य सरकार द्वारा संवर्ग की सेवानियमावली में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।

15	आशुलिपिक	लेवल -5 (ग्रेड पे 2800) (बैण्ड रू0 5200-20200)	4	कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-91/2812 /47-का-3-14- 13/7/2006 दिनांक 15.12.2014 द्वारा वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20,200) ग्रेड पे रू0 1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (9300-34,800) ग्रेड पे रू0 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये है।
16	लेखाकार	लेवल- 06 (ग्रेड पे 4200) (बैण्ड रू0 9300-34800)	2	राज्य सरकार द्वारा संवर्ग की सेवानियमावली में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।
17	सहायक लेखाकार	लेवल- 05 (ग्रेड पे 2800) (बैण्ड रू0 5200-20200)	3	कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-91/2812 /47-का-3-14- 13/7/2006 दिनांक 15.12.2014 द्वारा वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20,200) ग्रेड पे रू0 1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (9300-34,800) ग्रेड पे रू0 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये है।
18	प्रधान सहायक	लेवल- 06 (ग्रेड पे 4200) (बैण्ड रू0 9300-34800)	5	राज्य सरकार द्वारा लिपिक संवर्ग सेवानियमावली में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।
19	वरिष्ठ सहायक	लेवल- 05 (ग्रेड पे 2800) (बैण्ड रू0 5200-20200)	12	राज्य सरकार द्वारा लिपिक संवर्ग सेवानियमावली में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।
20	कनिष्ठ सहायक	लेवल- 03 (ग्रेड पे 2000) (बैण्ड रू0 5200-20200)	60	कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-91/2812 /47-का-3-14- 13/7/2006 दिनांक 15.12.2014 द्वारा वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20,200) ग्रेड पे रू0 1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (9300-34,800) ग्रेड पे रू0 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये है।
21	प्रोग्रामर ग्रेड- 1	लेवल- 10 (ग्रेड पे 5400) (बैण्ड रू0 15600-39100)	1	वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-34/2015/वे0आ0-2-546/दस-54(एम0)2008 टी0सी0, दिनांक 18.06.2015 द्वारा ई0डी0पी0 संवर्ग के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार भरा जाएगा।
22	प्रोग्रामर ग्रेड- 2	लेवल- 07 (ग्रेड पे 4600) (बैण्ड रू0 9300-34800)	1	वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-34/2015/वे0आ0-2-546/दस-54(एम0)2008 टी0सी0, दिनांक 18.06.2015 द्वारा ई0डी0पी0 संवर्ग के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार भरा जाएगा।

23	पुस्तकालयाध्यक्ष	एकेडिमिक लेवल- 14	1	शासनादेश संख्या-1190/सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 15.10.2019 द्वारा निर्गत परिनियमवली में विहित आर्हता एवं प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा।
24	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एकेडिमिक लेवल- 10	2	शासनादेश संख्या-1190/सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 15.10.2019 द्वारा निर्गत परिनियमवली में विहित आर्हता एवं प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा।
25	पुस्तकालय सहायक	लेवल- 03 (ग्रेड पे 2000) (बैण्ड रू0 5200-20200)	2	कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-91/2812 /47-का-3-14- 13/7/2006 दिनांक 15.12.2014 द्वारा वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20,200) ग्रेड पे रू0 1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (9300-34,800) ग्रेड पे रू0 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये है।
26	स्टोर कीपर	लेवल- 05 (ग्रेड पे 2800) (बैण्ड रू0 5200-20200)	1	चयन समिति के माध्यम से पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा परन्तु पोषक संवर्ग से अर्हताधारी कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा।
27	सहायक स्टोर कीपर	लेवल- 02 (ग्रेड पे 1900) (बैण्ड रू0 5200-20200)	1	कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-91/2812 /47-का-3-14- 13/7/2006 दिनांक 15.12.2014 द्वारा वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20,200) ग्रेड पे रू0 1900 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (9300-34,800) ग्रेड पे रू0 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये है।
28	लैब टेक्नीशियन	लेवल- 05 (ग्रेड पे 2800) (बैण्ड रू0 5200-20200)	15	तदैव
29	लैब असिस्टेंट	लेवल- 03 (ग्रेड पे 2000) (बैण्ड रू0 5200-20200)	24	तदैव
योग			**156**	

तालिका-ख

[सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवाओं/मैनपावर (श्रम शक्ति/मानव शक्ति) को क्रय किये जाने वाले कार्य/सेवायें]

क्र0सं0	**सेवाओं/कार्यों की प्रकृति**	**स्रोत**
1	40-कम्प्यूटर आपरेटर/20-स्वच्छकार/20-चौकीदार/20-माली/50-चपरासी/5-वाहन चालक/5-पुस्तकालय परिचर अर्थात कुल 160 पदों की मानव सम्पदा के समतुल्य मानवशक्ति अथवा उक्त कार्यों के प्रकृति की सेवायें।	पदों की मानव सम्पदा के समतुल्य मानवशक्ति के क्रय अथवा जाब आउटसोर्सिंग द्वारा सेवाओं हेतु निर्धारित योग्यातानुसार।

2- उक्त तालिका-क के स्तम्भ-5 में शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती का स्रोत आदि का उल्लेख है। उक्त के साथ ही ऐसे पद जिनकी अर्हताओं के सम्बन्ध में कोई उल्लेख पद नाम के समक्ष नहीं है, के सम्बन्ध में वही अर्हताएं, जो परिनियमावली में विहित की जायॅ अथवा ऐसे नियम, जो शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जायॅ, लागू होंगे।

3- तालिका-क में अंकित पदों पर वही वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं अनुमन्य होगी, जो शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाएंगी।

4- तालिका-क में अंकित पदों पर नियुक्त करते समय आरक्षण संबंधी वर्तमान नियमों/प्रतिबन्धों व नियुक्ति प्रक्रिया का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- विश्वविद्यालय द्वारा तालिका-क में अंकित पदों को भरे जाने के पूर्व पद, संख्या एवं औचित्य को प्रेषित करते हुए शासन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

6- विश्वविद्यालय द्वारा तालिका 'क' में अंकित नियमित वेतनमान के पदों पर न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता, वित्तीय औचित्य एवं मितव्ययिता के सामान्य सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए पदों पर भर्ती/नियुक्ति की जायेगी तथा सामान्य वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन का ध्यान रखा जायेगा।

7- विश्वविद्यालय द्वारा तालिका 'ख' में अंकित सेवाओं/कार्यों को आउटसोर्सिंग मोड द्वारा कार्य कराये जाने की प्रक्रिया में आने वाले व्यय-भार तथा सेवा शर्तों के संबंध में आउटसोर्सिंग आफ सर्विसेज/मैन पावर के सम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग, श्रम विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- विश्वविद्यालय द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से न्यूनतम वास्तविक विभागीय कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत आउटसोर्सिंग के आधार पर Outsourcing of services (Job Outsourcing) द्वारा कार्य कराया जायेगा तथा आउटसोर्सिंग एजेन्सी सेवाप्रदाता (Service Provider) का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रियानुरूप सुसंगत नियमों के अंतर्गत स्थापित रीतियों एवं नीतियों के अनुसार किया जायेगा।

9- Outsourcing of services की व्यवस्था (Mode) के लिये न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता के मानकों का निर्धारण तथा निर्धारित मानकों के आधार पर क्रय की जाने वाली सेवाओं/कार्य के आकंलन का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

10- विश्वविद्यालय द्वारा कार्मिक अनुभाग-2 शासनादेश संख्या-4/1/2008-का-2-2000, दिनांक 23 जनवरी, 2008 तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के आउटसोर्सिंग के व्यवस्था में आरक्षण से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-11-83-x-2025-26 दिनांक 28 अगस्त, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

Digitally signed by NIDHI SRIVASTAVA Date: 01-09-2025 17:54:22

भवदीय,

(निधि श्रीवास्तव)

विशेष सचिव

HE4 2024 MORADABAD पत्रलेखन

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सूचना आडिट), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त अधिकारी, गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
6. कोषाधिकारी, मुरादाबाद।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Digitally signed by
RAM JANAM CHAUHAN
Date: 01-09-2025
18:43:32

(राम जन्म चौहान)
उप सचिव